SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M,P.)
Case No 2161 Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant
F. C. TOO
क्षितिया स्थितिहर प्रश्नम स्थाप
Name , parentage, caste and address of accused
Quy sho nonver >10 nonein with a Tin Arant-15/08/2019
19 21/11/11 S(0 HENOT W) 9/2101-1919 S/0 8/12/11/19/15
(ह) विकल् su नाप्राम जाप विकाश - 3रामी वरित
money/
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
110
आप पर आरोप है कि दिनांक 1.818/17 को करीब 16:20 बजे मुकाम
सार्वजनिक स्थान जिल-दी आर्थ का माना का स्मान पश्चरामाण पर ताश के पत्तों
से रूपये पैसे की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए।
ऐसा करके आपने सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 की धारा 13 के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
TO GET THAT
प्राथक करवार क्या वर्ष
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
The state of the s
्र हरता गान्य
विभिन्न मिल्या है प्रथम है

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक <u>श्री प्री</u> को घोषित)

- 01. आरोपी / गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक धुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- - अभियुक्तगण से जप्तषुदा राशि .203 अप्रात् अपील अवधि पश्चात् राजसात् की जाये तथा जप्तसुदा मूल्यहीन सम्पत्ति ताश कि पत्तों को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सुपुर्दगी पर दी गयी संपत्ति के संबंध में सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। जब्तशुदा अन्य संपत्ति अपराध से संबंधित एवं उसकी विषय वस्तु न होने से जिस व्यक्ति से जब्द की गयी उसे लौटाई जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित 🕠

Judicial Magistrate Curi Clars
Gohad distriblinad (M.R.)